



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082026-275402
CG-DL-E-12082026-275402

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 661]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 2026/श्रावण 21, 1948

No. 661]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 2026/SHRAVAN 21, 1948

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 725(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2026 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में, "उपाबंध" में, "ख. भारतीय लेखा मानक (इंड एस)" शीर्षक के अधीन, -
- (क) "भारतीय लेखा मानक (इंड एस) 101" में,—

(i) पैरा 39कज के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्: -

"39कज [परिशिष्ट 1 देखें]

39कट इंड एएस में वार्षिक सुधार (2024), संशोधित पैरा ख5-ख6। कोई इकाई उन संशोधनों को 1 अप्रैल 2026 को या उसके पश्चात शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू करेगी।

(ii) परिशिष्ट ख में, पैरा ख5 और पैरा ख 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

" ख5. प्रतिष्ठान अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में उस प्रकार के प्रतिरक्षात्मक संबंध को प्रतिबिम्बित नहीं करेगा जो भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार प्रतिरक्षा लेखे के योग्य नहीं है (उदाहरण के लिए, उनके प्रतिरक्षा संबंधों में, जहाँ प्रतिरक्षा लिखत स्वतंत्र लिखित विकल्प या निवल लिखित विकल्प है, या जहाँ प्रतिरक्षा मद विदेशी मुद्रा जोखिम की तुलना में दूसरे जोखिम के लिए नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा में निवल स्थिति होती है) (इंड एएस 109 के पैरा 6.4.1 (क) देखें)। तथापि, यदि प्रतिष्ठान ने पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार प्रतिरक्षित मद के रूप में निवल स्थिति को पदपदनामित किया है, तो यह भारतीय लेखा मानकों के अनुसार उस निवल स्थिति के अंतर्गत एक विशिष्ट मद को या निवल स्थिति को प्रतिरक्षित मद के रूप में पदपदनामित कर सकता है यदि वह भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 6.6.1 में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करता है बशर्ते यह ऐसा भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि से बाद न हो।

ख6 यदि, इंड एएस में संक्रमण की तारीख से पहले, एक इकाई ने एक हेज के रूप में एक लेनदेन को पदनामित किया था, लेकिन हेज इंड एएस 109 के पैरा 6.4.1 (ख) - (ग) में हेज लेखांकन के लिए अर्हकारी मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो इकाई हेज लेखांकन को बंद करने के लिए इंड एएस 109 के पैरा 6.5.6 और 6.5.7 लागू होंगे। इंड एएस में संक्रमण की तारीख से पहले दर्ज किए गए लेनदेन को पूर्वव्यापी रूप से हेजे के रूप में पदनामित नहीं किया जाएगा।";

(iii) परिशिष्ट 1 में, पैरा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"14. आईएफआरएस 1 के पैरा 34 से 39ब, 39म से 39कख और 39कघ को इंड एएस 101 में सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि ये पैरा प्रभावी तारीख से संबंधित हैं और भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। आईएफआरएस 1 के पैरा 39एजे को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि यह आईएफआरएस 18 जारी करने के संशोधनों से संबंधित है, जिसके लिए संबंधित इंड एएस तैयार किया जा रहा है। तथापि, आईएफआरएस 1 के पैरा संख्या के साथ निरंतरता बनाए रखने के लिए, इन पैरा संख्याओं को इंड एएस 101 में बनाए रखा गया है।"

(ख) "भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 107" में;—

(i) पैरा 5क के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्: -

"5ख पैरा 30 क केवल प्रकृति पर निर्भर बिजली खरीदने के लिए अनुबंधों पर लागू होता है जो इंड एएस 109 के पैरा 2.3 क में अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और इंड एएस 109 के पैरा ख 2.7-ख 2.8 के अनुसार उस मानक के दायरे से बाहर हैं।

5ग पैरा 30 ख केवल अनुबंधों है कि इंड एएस 109 के पैरा 2.3 क में अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लागू होता है और में इंड एएस 109 के पैरा 6.10.1 के अनुसार एक नकदी प्रवाह हेजिंग संबंध में पदनामित किया गया है।

5 घ पैरा 30ग केवल उन अनुबंधों पर लागू होता है जो इंड एएस 109 के पैरा 2.3क में अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और किसी इकाई की बिजली खरीद के संबंध में में दर्ज किया गया है। इन अनुबंधों में ये सम्मिलित हैं:

(क) इंड एएस 109 के दायरे में; तथा

(ख) उस मानक के पैरा 2.4 के अनुसार इंड एस 109 के दायरे के बाहर, जिसमें उस मानक के पैरा ख2.7-ख2.8 के अनुसार अपवर्जित किया है।”

(ii) पैरा 11क में:-

(क) “प्रकट करेगा” शब्दों के स्थान पर “निवेश के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रकट करेगा” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद ‘(ग)’ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(ग) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्या”

(ग) मद ‘(ङ)’ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(च) अवधि के दौरान अन्य समग्र आय में प्रस्तुत उचित मूल्य लाभ या हानि, जिसमें रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपमान्यकृत निवेशों से संबंधित उचित मूल्य लाभ या हानि तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में धारित निवेशों से संबंधित उचित मूल्य लाभ या हानि को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।”;

(iii) पैरा 11ख में, मद ‘(ग)’ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— -

“(घ) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान साम्या के भीतर संचयी लाभ या हानि का कोई भी हस्तांतरण उस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निवेश से संबंधित है।”;

(iv) पैरा 20क के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्: -

" 20ख, कोई संस्था परिशोधित लागत या अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियों के वर्ग और परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय दायित्वों के वर्ग के आधार पर अनुच्छेद 20ग द्वारा अपेक्षित जानकारी का प्रकटन करेगी। संस्था को इस बात पर विचार करना होगा कि कितना विवरण प्रकट किया जाए, एकत्रीकरण या विखंडन का उचित स्तर क्या हो, और क्या वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को प्रकट की गई किसी भी मात्रात्मक जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

20ग वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को संविदात्मक शर्तों के प्रभाव को समझने में सक्षम करने के लिए जो एक आकस्मिक घटना की घटना (या गैर-घटना) के आधार पर संविदात्मक नकदी प्रवाह की राशि को परिवर्तित कर सकती है जो सीधे बुनियादी ऋण जोखिमों और लागतों (जैसे धन का समय मूल्य या क्रेडिट जोखिम) में परिवर्तन से संबंधित नहीं है, एक इकाई निम्नलिखित का प्रकटन करेगी:

(क) आकस्मिक घटना की प्रकृति का गुणात्मक विवरण;

(ख) संविदात्मक नकदी प्रवाह में संभावित परिवर्तनों के संबंध में मात्रात्मक जानकारी जो उन संविदात्मक शर्तों के परिणामस्वरूप हो सकती है (उदाहरण के लिए, संभावित परिवर्तनों की सीमा); तथा

(ग) वित्तीय आस्तियों की सकल वहन राशि और वित्तीय दायित्वों की परिशोधित लागत उन संविदात्मक शर्तों के अधीन है।

20घ उदाहरण के लिए, एक इकाई परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय दायित्वों के एक वर्ग के लिए पैरा 20ग द्वारा आवश्यक जानकारी का प्रकटन करना होगा, जिसका संविदात्मक नकदी प्रवाह परिवर्तित होता है यदि इकाई अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी प्राप्त करती है”;

(v) पैरा 30 के पश्चात, निम्नलिखित शीर्षक और पैरा अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्: -

"प्रकृति पर निर्भर बिजली को संदर्भित करने वाले अनुबंध

30क किसी इकाई अपने वित्तीय विवरणों में एक ही नोट में उन अनुबंधों के बारे में जानकारी प्रकट करेगी जो पैरा 5ख में उपवर्णित मानदंडों को पूरा करते हैं। विशेष रूप से, इकाई ऐसी जानकारी का प्रकटन करेगी जो उसके वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को यह समझने में सक्षम बनाती है कि इन अनुबंधों का राशि, समय और उसके भविष्य के नकदी प्रवाह की राशि, समय और अनिश्चितता और इसके वित्तीय प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, किसी इकाई द्वारा निम्नलिखित प्रकटन किया जाएगा:

(क) संविदात्मक विशेषताओं के बारे में जानकारी जो निकाय को निम्नलिखित के लिए उजागर करती हैं:

- (i) बिजली की अंतर्निहित मात्रा में परिवर्तनशीलता (इंड एस 109 के पैरा 2.3 क देखें); और
- (ii) यह जोखिम है कि इकाई को वितरण अंतराल के दौरान बिजली खरीदने के लिए अपेक्षित होगा जिसमें इकाई बिजली का उपयोग नहीं कर सकेगा (इंड एस 109 के पैरा ख2.7 देखें)।

(ख) रिपोर्टिंग तिथि पर इस तरह के अनुबंधों से उत्पन्न होने वाली अपरिचित प्रतिबद्धताओं के बारे में जानकारी, जिसमें सम्मिलित हैं:

- (i) इन अनुबंधों के तहत बिजली खरीदने से होने वाली अनुमानित भविष्य में नकदी प्रवाह। इकाई को अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को प्रकट करने के लिए उपयुक्त समयसीमा निर्धारित करते समय अपने विवेक का प्रयोग करेगी।
- (ii) इस बारे में गुणात्मक जानकारी कि इकाई कैसे निर्धारण करती है कि क्या कोई अनुबंध कठिन हो सकता है (देखें इंड एस 37, *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियाँ*), जिसमें उन धारणाओं को सम्मिलित करना है जिनका उपयोग इकाई इस निर्धारण को करने में करती है।

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के लिए इकाई के वित्तीय प्रदर्शन पर प्रभावों के बारे में गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी। यह प्रकटीकरण उस जानकारी पर आधारित है जो रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू होती है और जिसका उपयोग इकाई ने यह निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल किया है कि क्या यह बिजली का एक शुद्ध खरीदार रही है (इंड एस 109 के पैरा ख2.8 देखें)। एक इकाई रिपोर्टिंग अवधि के लिए जानकारी का प्रकटन करेगी:

- (i) अनुबंधों के अधीन की गई बिजली की खरीद से उत्पन्न होने वाली लागत, अलग से यह प्रकटन करना कि डिलीवरी के समय खरीदी गई बिजली का कितना हिस्सा अप्रयुक्त था;
- (ii) अप्रयुक्त बिजली की बिक्री से उत्पन्न आय; तथा
- (iii) अप्रयुक्त बिजली की बिक्री की भरपाई के लिए की गई बिजली की खरीद पर होने वाली लागत।

30ख. कोई इकाई अपने उन अनुबंधों के लिए, जो पैरा 5ग में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, पैरा 23क के अनुसार हेजिंग लिखतों के निबंधनों और शर्तों के बारे में, जोखिम श्रेणी के अनुसार, इकाई द्वारा प्रकट की गई जानकारी को पृथक करेगी।

30ग यदि कोई इकाई अपने वित्तीय विवरणों में अन्य नोटों में पैरा 5घ (पैरा 30ख में वर्णित अनुबंधों सहित) में वर्णित प्रकृति-निर्भर बिजली को संदर्भित करने वाले अन्य अनुबंधों के बारे में जानकारी का प्रकटन करती है, तो इकाई में पैरा 30क द्वारा आवश्यक एकल नोट में उन नोटों के क्रॉस-रेफरेंस सम्मिलित होंगे।”;

(vi) पैरा 44जज के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्: -

"44ट्ट [परिशिष्ट 1 देखें]।

44ठठ वित्तीय लिखतों के वर्गीकरण और मापन में संशोधन, पैरा 20ख, 20ग और 20घ को जोड़ा गया और पैरा 11क और 11ख को संशोधित किया। एक इकाई इन संशोधनों को लागू करेगी जब यह इंड एस 109 के पैरा 7.1.12 के अनुसार इंड एस 109 में संशोधन लागू करता है। इकाई को संशोधनों के अपने प्रारंभिक आवेदन की तारीख से पहले प्रस्तुत किसी भी अवधि के लिए संशोधनों द्वारा अपेक्षित प्रकटन प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

44डड रिपोर्टिंग अवधि में जिसमें कोई इकाई वित्तीय लिखतों के वर्गीकरण और माप में संशोधन को पहली बार लागू करती है, इकाई को उस जानकारी को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है जो अन्यथा इंड एस 8 के पैरा 28 (च) द्वारा अपेक्षित होगी।

44ढढ इंड एस में वार्षिक सुधार (2024), संशोधित पैरा ख38 एक इकाई उन संशोधनों को 1 अप्रैल 2026 या उसके पश्चात शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू करेगी।

44णण प्रकृति-निर्भर बिजली को संदर्भित करने वाले अनुबंध, जिसने इंड एस 109 में भी संशोधन भी सम्मिलित है। ने पैरा 5ख-5घ, 30क-30ग और 44तत को जोड़ा है। किसी इकाई को इंड एस 109 के लिए संशोधन लागू करते समय का पालन करना होगा। इन पैरा यदि कोई इकाई तुलनात्मक जानकारी को फिर से नहीं बताती है जब वह पहली बार उस मानक के पैरा 7.2.51 के अनुसार इंड एस 109 में संशोधन लागू करती है, तो इकाई पैरा 30क-30ग द्वारा अपेक्षित प्रकटन के लिए तुलनात्मक जानकारी प्रदान नहीं करेगी।

44तत जिस रिपोर्टिंग अवधि में कोई इकाई पहली बार प्रकृति-निर्भर बिजली का संदर्भ देने वाले अनुबंधों के लिए आवेदन करती है, उस इकाई को मात्रात्मक जानकारी का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं होती है जो अन्यथा इंड एस 8 के अनुच्छेद 28(च) द्वारा अपेक्षित होती है।”;

(vii) परिशिष्ट ख में, अनुच्छेद ख 38 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"ख38 पैरा 42 छ (क) के अनुसार, किसी इकाई को वित्तीय आस्तियों से संबंधित मान्यता रद्द करने पर लाभ या हानि का प्रकटन की अपेक्षा होती है जिसमें इकाई की निरंतर भागीदारी है। इकाई को प्रकटन करना होगा कि क्या मान्यता रद्द करने पर लाभ या हानि उत्पन्न हुई क्योंकि पहले से मान्यता प्राप्त आस्ति के घटकों के उचित मूल्य (अर्थात् मान्यता प्राप्त आस्ति में ब्याज और इकाई द्वारा बनाए रखा गया ब्याज) समग्र रूप से पहले से मान्यता प्राप्त आस्ति के उचित मूल्य से भिन्न थे। उस स्थिति में, इकाई यह भी प्रकटन करेगी कि क्या उचित मूल्य माप में महत्वपूर्ण अदृश्य इनपुट सम्मिलित हैं, जैसा कि इंड एस 113 के पैरा 72-73 में वर्णित है।”;

(viii) परिशिष्ट 1 में,

(क) पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

“5 आईएफआरएस 7 के पैरा 42अ-42ध को इंड एस 107 में सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि ये पैरा आईएफआरएस 9 के प्रारंभिक आवेदन से संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। आईएफआरएस 7 में दिए गए प्रभावी तिथि और संक्रमण से संबंधित पैरा 43-44खख को भी इंड एस 107 में सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि यह भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। पैरा 44ट आईएफआरएस 18 से संबंधित है, *वित्तीय विवरणों में प्रस्तुति और प्रकटीकरण*, जिसके लिए तदनुसूची इंड एस 118 तैयार किया जा रहा है। तथापि, आईएफआरएस 7 के पैरा संख्या के साथ निरंतरता बनाए रखने के लिए, इन पैरा संख्याओं को इंड एस 107 में बनाए रखा गया है।

(ख) पैरा 5 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्: -

“6. पैरा 44णण और 44तत को आईएफआरएस 19 के संदर्भ में संशोधित किया गया है, जिसके लिए संबंधित इंड एस 119 तैयार किया जा रहा है।”

(ग) “भारतीय लेखा मानक (इंड एस) 109”: —

(i) पैरा 2.1 में, मद (ख) में, उप-मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(ii) पट्टेदार द्वारा मान्यता प्राप्त पट्टे की दायित्वों इस मानक के पैरा 3.3.1 और 3.3.3 में उल्लिखित अमान्यता अपेक्षाओं के अधीन हैं; तथा”;

(ii) पैरा 2.3 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्: -

“2.3क पैरा 6.10.1-6.10.2 और ख2.7-ख2.8 केवल प्रकृति-निर्भर बिजली को संदर्भित करने वाले अनुबंधों पर लागू होते हैं। प्रकृति-निर्भर बिजली को संदर्भित करने वाले अनुबंध ऐसे अनुबंध हैं जो बिजली की अंतर्निहित मात्रा में परिवर्तनशीलता के लिए एक इकाई को जोखिम में डालते हैं क्योंकि बिजली उत्पादन का स्रोत अनियंत्रित प्राकृतिक परिस्थितियों (उदाहरण के लिए, मौसम) पर निर्भर करता है। प्रकृति-निर्भर बिजली से संबंधित अनुबंधों में प्रकृति-निर्भर बिजली खरीदने या बेचने के अनुबंध और वित्तीय लिखत सम्मिलित हैं।

2.3ख एक इकाई अन्य अनुबंधों, वस्तुओं या लेनदेन के अनुरूप पैरा 6.10.1-6.10.2 और ख2.7-ख2.8 लागू नहीं करेगी।

(iii) अनुच्छेद 2.3ख और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित शीर्षक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“गैर-वित्तीय मदों के क्रय अथवा विक्रय के लिए संविदाएं”

(iv) अनुच्छेद 2.6 में, “अनुबंध, जिस पर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले तथा “कार्यक्षेत्र के अंतर्गत है या नहीं।” शब्दों पर समाप्त होने वाले अनुच्छेद के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाएगा, अर्थात्:—

“वह अनुबंध जिस पर उपखंड (ख) अथवा (ग) लागू होता है, इकाई की अपेक्षित खरीद, बिक्री या उपयोग अपेक्षाओं के अनुसार गैर-वित्तीय मद की प्राप्ति अथवा आपूर्ति के प्रयोजन से नहीं की जाती है और तदनुसार, वह इस मानक के कार्यक्षेत्र में आती है। अन्य संविदाओं [जिनमें अनुच्छेद 2.3क में वर्णित संविदाएं भी सम्मिलित हैं] जिन पर अनुच्छेद 2.4 लागू होता है, का यह निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि क्या वे इकाई की अपेक्षित

खरीद, बिक्री अथवा उपयोग अपेक्षाओं के अनुसार गैर-वित्तीय मद की प्राप्ति अथवा आपूर्ति के प्रयोजन से की गई हैं और क्या वे उसी प्रयोजन के लिए धारित बनी हुई हैं और तदनुसार, क्या वे इस मानक के कार्यक्षेत्र में आती हैं।”;

(v) पैरा 2.7 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्: -

"2.8 एक इकाई यह निर्धारण करने के लिए पैरा ख 2.7-ख 2.8 भी लागू करेगी कि क्या प्रकृति पर निर्भर बिजली (जैसा कि पैरा 2.3 क में वर्णित है) को संदर्भित करने वाले अनुबंध दर्ज किए गए हैं और इकाई की अपेक्षित उपयोग अपेक्षाओं के अनुसार बिजली की प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए हैं और जारी रखे गए हैं।”;

(vi) पैरा 5.1.3 के लिए, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

“5.1.3 पैरा 5.1.1 में अपेक्षाओं के होते हुए, प्रारंभिक मान्यता पर, एक इकाई इंड एस 115 को लागू करके निर्धारित राशि पर व्यापार प्राप्तियों को मापेगी यदि व्यापार प्राप्तियों में इंड एस 115 के अनुसार एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक सम्मिलित नहीं है (या जब इकाई इंड एस 115 के पैरा 63 के अनुसार व्यावहारिक समीचीन लागू होती है)।”;

(vii) पैरा 6.9.13 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"6.10 प्रकृति पर निर्भर बिजली को संदर्भित करने वाले अनुबंध

6.10.1 प्रकृति-निर्भर बिजली से संबंधित कुछ अनुबंधों को पूर्वानुमानित बिजली लेनदेन के हेजिंग में हेजिंग लिखतों के रूप में पदनामित किया गया है। पैरा 6.3.7 में उल्लिखित अपेक्षाओं के अतिरिक्त, ऐसे हेजिंग संबंध के लिए, एक खाताधारक को हेज्ड मद के रूप में एक परिवर्तनीय नाममात्र राशि के पूर्वानुमानित बिजली लेनदेन को पदनामित करने की अनुमति है, जो हेजिंग लिखतों में संदर्भित उत्पादन संयंत्र द्वारा वितरित की जाने वाली अपेक्षित परिवर्तनीय राशि प्रकृति-निर्भर बिजली के अनुरूप हो। इस अध्याय की अन्य हेज लेखांकन अपेक्षाएं ऐसे हेजिंग संबंध पर लागू होती रहेंगी।

6.10.2 यदि हेजिंग उपकरण के रूप में पदनामित प्रकृति-निर्भर बिजली को संदर्भित करने वाले अनुबंध के नकदी प्रवाह एक पूर्वानुमान लेनदेन की घटना पर सशर्त हैं जिसे पैरा 6.10.1 के अनुसार हेज किए गए आइटम के रूप में पदनामित किया गया है, तो इस पूर्वानुमान लेनदेन को पैरा 6.3.3 द्वारा आवश्यक अत्यधिक संभावित माना जाता है।”;

(viii) पैरा 7.1.10 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"7.1.11 [परिशिष्ट 1 देखें]

7.1.12 *वित्तीय साधनों के वर्गीकरण और मापन में संशोधन*, जिसने इंड एस 109 और इंड एस 107 में संशोधन किया, पैरा 7.2.47-7.2.49, ख3.1.2क, ख3.3.8-ख3.3.10, ख4.1.8क, ख4.1.10क, ख4.1.16क और ख4.1.20क जोड़ा। इसने पैरा ख4.1.10, ख4.1.13, ख4.1.14, ख4.1.16, ख4.1.17, ख4.1.20, ख4.1.21 और ख4.1.23 में भी संशोधन किया। एक इकाई इन संशोधनों को 1 अप्रैल 2026 या उसके पश्चात शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू करेगी।

7.1.13 [परिशिष्ट 1 देखें]

7.1.14 *इंड एस में वार्षिक सुधार (2024)*, संशोधित पैरा 2.1 (ख) (ii), पैरा 5.1.3 और परिशिष्ट क एक इकाई उन संशोधनों को 1 अप्रैल 2026 या उसके पश्चात शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू करेगी।

7.1.15 प्रकृति-निर्भर बिजली को संदर्भित देने वाले अनुबंधों, में पैरा 2.3क-2.3ख, 2.8, 6.10.1-6.10.2, 7.2.51-7.2.53, और ख2.7-ख2.8 जोड़ा गया और पैरा 2.6 में संशोधन किया। एक इकाई इन संशोधनों को 1 अप्रैल 2026 को या उसके पश्चात शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू करेगी।”;

ix पैरा 7.2.46 के पश्चात, निम्नलिखित शीर्षक और पैरा डाले जाएंगे, अर्थात्: -

"वित्तीय लिखतों के वर्गीकरण और मापन में संशोधन के लिए संक्रमण

7.2.47 कोई भी इकाई, इंड एस 8 के अनुसार, 'वित्तीय साधनों के वर्गीकरण और मापन' में किए गए संशोधनों को पूर्वव्यापी रूप से लागू करेगी; सिवाय उन मामलों के, जिनका उल्लेख पैरा 7.2.48-7.2.49 में किया गया है। इन पैराग्राफों में दी गई अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए, 'प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि' उस वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत मानी जाएगी, जिसमें इकाई पहली बार इन संशोधनों को लागू करती है।

7.2.48 किसी संस्था के लिए, इन संशोधनों के लागू होने को दिखाने के लिए पिछली अवधियों को दोबारा बताना ज़रूरी नहीं है। कोई संस्था पिछली अवधियों को दोबारा बता सकती है, लेकिन ऐसा तभी किया जा सकता है, जब ऐसा करना 'बीती बात को ध्यान में रखे बिना' संभव हो। यदि कोई संस्था पिछली अवधियों को दोबारा नहीं बताती है, तो वह इन संशोधनों को पहली बार लागू करने के प्रभाव को, वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय दायित्वों के शुरुआती शेष में एक समायोजन के रूप में मानेगी; और यदि कोई संचयी प्रभाव हो, तो उसे पहली बार लागू करने की तारीख पर, 'धारित अर्जनों' (या साम्या के किसी अन्य उपयुक्त घटक) के शुरुआती शेष में एक समायोजन के रूप में मानेगी।

7.2.49 इस मानक की धारा 4.1(वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण) के लिए अनुप्रयोग मार्गदर्शन में संशोधनों के प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख पर, एक इकाई वित्तीय आस्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रकटन करेगी जिसने संशोधनों को लागू करने के परिणामस्वरूप माप श्रेणी को बदल दिया है:

(क) माप श्रेणी और संशोधनों को लागू करने से ठीक पहले निर्धारित की गई राशि; तथा

(ख) संशोधन लागू होने के ठीक पश्चात निर्धारित माप श्रेणी और वहन राशि।

इंड एस में वार्षिक सुधार के लिए संक्रमण (2024)

7.2.50 एक इकाई पैरा 2.1 (ख) (ii) के लिए इंड एस (2024) के लिए वार्षिक सुधार द्वारा किए गए संशोधन को वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि में या उसके पश्चात समाप्त कर रहे हैं जो वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में समाप्त हो जाते हैं जिसमें इकाई पहले उस संशोधन को लागू करती है।

प्रकृति-निर्भर बिजली को संदर्भित करने वाले अनुबंधों के लिए संक्रमण

7.2.51 कोई भी संस्था पैरा 2.3क-2.3ख, 2.8 और ख2.7-ख2.8 को इंड एस 8 के अनुसार, प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख (वह तारीख जब कोई संस्था पहली बार इन संशोधनों को लागू करती है) के तथ्यों और परिस्थितियों का उपयोग करते हुए, पूर्वव्यापी रूप से लागू करेगी। प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख एक रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत होगी, जो वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अलावा कोई अन्य रिपोर्टिंग अवधि भी हो सकती है। संस्था को इन संशोधनों के अनुप्रयोग को दर्शाने के लिए पिछली अवधियों को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। संस्था को पिछली अवधियों को पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति केवल तभी है, यदि ऐसा बिना किसी पञ्चदृष्टि के उपयोग के करना संभव हो। यदि संस्था पिछली अवधियों को पुनः प्रस्तुत नहीं करती है, तो वह पिछली वहन राशि और इन संशोधनों के प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख

की वहन राशि के बीच के किसी भी अंतर को, उस रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में, प्रारंभिक प्रतिधारित आय (या साम्या के किसी अन्य घटक, जैसा भी उचित हो) में मान्यता देगी।

7.2.52 यदि कोई अनुबंध, जो प्रकृति-आधारित बिजली (जैसा कि पैरा 2.3क में वर्णित है) का संदर्भ देता है, पैरा ख2.7-ख2.8 में दी गई अपेक्षाओं को लागू करने के परिणामस्वरूप इंड एस 109 के दायरे से बाहर हो जाता है, तो किसी इकाई को, प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि पर, इस अनुबंध को पैरा 2.5 के अनुसार 'लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाने वाला' अनुबंध के रूप में अपरिवर्तनीय रूप से पदनामित करने की अनुमति होगी।

7.2.53 कोई इकाई पैरा 6.10.1-6.10.2 को, शुरुआती अनुप्रयोग की तारीख को या उसके पश्चात तय किए गए नए हेजिंग संबंधों पर, भविष्यलक्षी रूप से लागू करेगी। शुरुआती अनुप्रयोग की तारीख को, किसी इकाई को ऐसे हेजिंग संबंध को समाप्त करने की अनुमति है, जिसमें प्रकृति-आधारित बिजली (जैसा कि पैरा 2.3क में बताया गया है) से संबंधित किसी अनुबंध को हेजिंग लिखत के रूप में तय किया गया हो, परंतु वही हेजिंग लिखत पैरा 6.10.1-6.10.2 के अनुसार किसी नए हेजिंग संबंध में तय किया गया हो।”;

(x) परिशिष्ट क में, 'लेनदेन लागतें' की परिभाषा तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात, “निम्नलिखित पद” शब्दों से प्रारंभ होने वाले तथा “लेनदेन कीमत।” शब्द पर समाप्त होने वाले अंतिम अनुच्छेद के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“निम्नलिखित शब्दों को इंड एस 32 के पैरा 11, इंड एस 107 के परिशिष्ट क या इंड एस 113 के परिशिष्ट क में परिभाषित किया गया है और इस मानक में इनका उपयोग इंड एस 32, इंड एस 107 या इंड एस 113 में निर्दिष्ट अर्थों के साथ किया गया है:

- (क) ऋण जोखिम;
- (ख) साम्या इस्टीमेट;
- (ग) उचित मूल्य;
- (घ) वित्तीय आस्ति;
- (ङ) वित्तीय लिखत; तथा
- (च) वित्तीय दायित्व।”;

(xi) परिशिष्ट ख में, -

(क) पैरा ख2.6 के पश्चात, निम्नलिखित शीर्षक और पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“प्रकृति-आधारित बिजली खरीदने के अनुबंध

ख2.7 कुछ अनुबंध जो प्रकृति-आधारित बिजली (जैसा कि पैरा 2.3क में बताया गया है) का संदर्भ देते हैं, एक इकाई को यह बाध्य करते हैं कि जब बिजली उत्पन्न हो, तो वह उसे खरीदे और उसकी डिलीवरी ले। इन अनुबंध संबंधी विशेषताओं के कारण इकाई को इस जोखिम का सामना करना पड़ता है कि उसे डिलीवरी की उस अवधि के दौरान बिजली का क्रय किया जा सकेगा, जब वह उस बिजली का उपयोग नहीं कर सकेगी। इकाई के पास अप्रयुक्त बिजली के विक्रय से बचने की कोई व्यावहारिक क्षमता भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस बिजली बाज़ार में अनुबंध के अधीन बिजली का लेन-देन

होता है, उसकी बनावट और संचालन की यह शर्त होती है कि अप्रयुक्त बिजली की किसी भी मात्रा को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर विक्रय किया जाएगा। जब कोई इकाई पैरा 2.4 में दी गई शर्तों को लागू करती है, तो ऐसी बिक्री ज़रूरी नहीं कि इस बात के विपरीत हो कि अनुबंध को इकाई की अपेक्षित उपयोग अपेक्षाओं के अनुरूप ही रखा गया है। कोई इकाई ऐसे अनुबंध में तब प्रवेश करती है और उसे अपनी अपेक्षित बिजली उपयोग अपेक्षाओं के अनुरूप तब तक बनाए रखती है, जब तक कि वह अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान बिजली की 'शुद्ध क्रेता' रही हो और आगे भी रहने की उम्मीद रखती हो। कोई इकाई बिजली की 'शुद्ध क्रेता' तब मानी जाती है, जब वह इतनी पर्याप्त मात्रा में बिजली खरीदती है कि वह उसी बाज़ार में बेची गई किसी भी अप्रयुक्त बिजली की बिक्री की भरपाई कर सके।

ख2.8 यह अवधारित करते समय कि कोई संस्था बिजली की 'शुद्ध क्रेता' है या नहीं, संस्था को अपने पिछले, विद्यमान और भविष्य में होने वाले बिजली के लेन-देन के बारे में (जो बिना किसी ज़्यादा लागत या मेहनत के उपलब्ध हो) उचित और भरोसेमंद जानकारी पर विचार किया जाएगा। संस्था 'उचित समय-सीमा' का निर्धारण, प्राकृतिक परिस्थितियों के मौसमी चक्र के कारण पैदा होने वाली बिजली की मात्रा में होने वाले उतार-चढ़ाव और संस्था के संचालन चक्र के कारण बिजली की मांग में होने वाले उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए करती है। यह तय करते समय कि संस्था 'शुद्ध क्रेता' रही है या नहीं, 'उचित समय-सीमा' 12 माह से ज़्यादा नहीं होगी।”;

(ख) पैरा ख3.1.2 के पश्चात, निम्नलिखित शीर्षक और पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात्: —

“प्रारंभिक पहचान या पहचान समाप्त करने की तिथि

ख3.1.2क जब तक पैरा 3.1.2 लागू नहीं होता, कोई इकाई किसी वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व को उस तिथि पर पहचानेगी जिस तिथि को वह इकाई उस लिखत के संविदात्मक उपबंधों की पक्षकार बनती है (देखें पैरा 3.1.1)। किसी वित्तीय आस्तियों की पहचान उस तिथि पर समाप्त की जाती है जिस तिथि को नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या आस्तियां हस्तांतरित कर दी जाती है (देखें पैरा 3.2.3)। जब तक कोई इकाई पैरा ख3.3.8 को लागू करने का विकल्प नहीं चुनती, किसी वित्तीय दायित्व की पहचान निपटान तिथि पर समाप्त की जाती है; यह वह तिथि होती है जिस पर दायित्व समाप्त हो जाता है क्योंकि अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, रद्दकरण या उसकी समाप्ति हो जाती है (देखें पैरा 3.3.1) या दायित्व अन्यथा पहचान समाप्त करने के लिए पात्र हो जाता है (देखें पैरा 3.3.2)।”;

(ग) पैरा ख3.3.7 के पश्चात, ये पैरा जोड़े जाएंगे, अर्थात्: —

“ख3.3.8 पैरा ख3.1.2क में सेटलमेंट की तारीख पर वित्तीय देयता की पहचान समाप्त करने की ज़रूरत के बावजूद, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके कैश में वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता का भाग) सेटल करते समय, एक इकाई को वित्तीय देयता (या उसके भाग) को सेटलमेंट की तारीख से पहले मुक्त माना जा सकता है, अगर, और सिर्फ अगर, इकाई ने ऐसा भुगतान निर्देश शुरू किया हो जिसके परिणामस्वरूप:

(क) संस्था के पास भुगतान निर्देश को वापस लेने, रोकने या रद्द करने की कोई व्यावहारिक क्षमता न हो;

- (ख) संस्था के पास भुगतान निर्देश के परिणामस्वरूप निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली नकदी तक पहुँचने की कोई व्यावहारिक क्षमता न हो; और
- (ग) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली से जुड़ा निपटान जोखिम नगण्य होना।

ख3.3.9 पैरा ख3.3.8(ग) को लागू करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान व्यवस्था से जुड़ा सेटलमेंट जोखिम तब कम होता है, जब उसकी विशेषताएं ऐसी हों कि भुगतान निर्देश को पूरा करने के लिए एक मानक प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है और पैरा ख3.3.8(क) और (ख) में दिए गए मानदंड को पूरा करने और प्रतिपक्ष को नकद वितरण कैश डिलीवर करने के बीच का समय कम हो। तथापि, सेटलमेंट जोखिम तब भी कम नहीं होगा, जब भुगतान निर्देश को पूरा करना इकाई की सेटलमेंट तारीख पर नकद वितरण करने की क्षमता पर निर्भर हो।

ख3.3.10 कोई इकाई जो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान व्यवस्था का इस्तेमाल करके किसी वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता के हिस्से) के सेटलमेंट के लिए पैरा ख3.3.8 को लागू करने का चुनाव करती है, उसे उसी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान व्यवस्था के ज़रिए किए गए सभी सेटलमेंट पर वह पैरा लागू करना होगा।”;

(घ) पैरा ख4.1.8 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ख4.1.8क यह निर्धारण करते समय कि क्या किसी वित्तीय आस्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एक बुनियादी उधार व्यवस्था के अनुरूप है, किसी संस्था को व्याज के विभिन्न तत्वों पर अलग-अलग विचार करना पड़ सकता है। व्याज का निर्धारण इस बात पर केंद्रित होता है कि किसी संस्था को किस चीज़ के लिए प्रतिकर दिया जा रहा है, न कि इस बात पर कि संस्था को कितना मुआवज़ा मिल रहा है। फिर भी, संस्था को मिलने वाले मुआवज़े की राशि यह संकेत दे सकती है कि संस्था को बुनियादी उधार जोखिमों और लागतों के अलावा किसी अन्य चीज़ के लिए प्रतिकर दिया जा रहा है। संविदात्मक नकदी प्रवाह एक बुनियादी उधार व्यवस्था के अनुरूप नहीं होते हैं, यदि वे किसी ऐसे चर से जुड़े हों जो बुनियादी उधार जोखिम या लागत न हो (उदाहरण के लिए, साम्या लिखत का मूल्य या किसी वस्तु का मूल्य), या यदि वे देनदार के राजस्व या लाभ में हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करते हों—भले ही ऐसे संविदात्मक नियम उस बाज़ार में आम हों जिसमें संस्था काम करती है।”;

(ङ) पैरा ख4.1.10 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: —

“ख4.1.10 यदि किसी वित्तीय आस्ति में कोई संविदात्मक शर्त है जो संविदात्मक नकदी प्रवाह के समय या राशि को बदल सकती है (उदाहरण के लिए, यदि आस्ति का भुगतान परिपक्वता से पहले किया जा सकता है या उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है), तो संस्था को यह निर्धारित करना होगा कि क्या उस संविदात्मक शर्त के कारण लिखत के जीवनकाल में उत्पन्न होने वाला संविदात्मक नकदी प्रवाह, पूरी तरह से मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर व्याज का भुगतान है। यह निर्धारण करने के लिए संस्था को संविदात्मक नकदी प्रवाह में परिवर्तन होने की संभावना की परवाह किए बिना, संविदात्मक नकदी प्रवाह में परिवर्तन से पहले और पश्चात में उत्पन्न होने वाले संविदात्मक नकदी प्रवाह का मूल्यांकन करना होगा। संस्था को किसी भी आकस्मिक घटना (अर्थात् ट्रिगर) की प्रकृति का मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता हो सकती है जो संविदात्मक नकदी प्रवाह के समय या राशि को बदल देगी। यद्यपि आकस्मिक घटना की प्रकृति अपने आप में यह मूल्यांकन करने में निर्णायक कारक नहीं है कि क्या संविदात्मक नकदी प्रवाह पूरी तरह से मूलधन और व्याज का भुगतान है, यह एक संकेतक हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक ऐसे वित्तीय लिखत की तुलना करें जिसकी व्याज दर तब बढ़ जाती है जब देनदार एक निश्चित संख्या में भुगतान करने से चूक जाता है, और एक ऐसे वित्तीय लिखत से करें जिसकी व्याज दर तब बढ़ जाती है जब कोई निर्दिष्ट साम्या सूचकांक

एक विशेष स्तर पर पहुँच जाता है। पहले मामले में, इस बात की अधिक संभावना है कि लिखत के जीवनकाल में संविदात्मक नकदी प्रवाह पूरी तरह से मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान होगा, क्योंकि छूटे हुए भुगतानों और ऋण जोखिम में वृद्धि के बीच एक संबंध होता है। पहले मामले में, आकस्मिक घटना की प्रकृति सीधे तौर पर बुनियादी उधार जोखिमों और लागतों में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित होती है, और संविदात्मक नकदी प्रवाह भी उन्हीं परिवर्तनों की दिशा में बदलता है। (पैरा ख4.1.18 भी देखें।)

“ख4.1.10क कुछ मामलों में, एक आकस्मिक विशेषता ऐसे संविदात्मक नकदी प्रवाह को जन्म देती है जो संविदात्मक नकदी प्रवाह में बदलाव से पहले और पश्चात दोनों ही स्थितियों में एक बुनियादी उधार व्यवस्था के अनुरूप होते हैं, किंतु स्वयं आकस्मिक घटना की प्रकृति का बुनियादी उधार जोखिमों और लागतों में बदलाव से सीधा संबंध नहीं होता है। उदाहरण के लिए, किसी ऋण पर ब्याज दर को एक निर्धारित राशि से समायोजित किया जाता है, यदि देनदार कार्बन उत्सर्जन में संविदात्मक रूप से निर्धारित कमी हासिल कर लेता है। ऐसे मामले में, पैरा ख4.1.10 को लागू करते समय, वित्तीय आस्ति में ऐसे संविदात्मक नकदी प्रवाह होते हैं जो पूरी तरह से मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के भुगतान होते हैं—यदि, और केवल तभी, जब सभी संविदात्मक रूप से संभव परिदृश्यों में, संविदात्मक नकदी प्रवाह, समान संविदात्मक शर्तों वाले (परंतु ऐसी आकस्मिक विशेषता के बिना) किसी वित्तीय लिखत के संविदात्मक नकदी प्रवाह से काफी अलग न हों। कुछ परिस्थितियों में, संस्था एक गुणात्मक मूल्यांकन करके यह निर्धारण करने में सक्षम हो सकेगी; परंतु, अन्य परिस्थितियों में, एक मात्रात्मक मूल्यांकन करना आवश्यक हो सकता है। यदि यह स्पष्ट है—बहुत कम या बिना किसी विश्लेषण के ही—कि संविदात्मक नकदी प्रवाह काफी अलग नहीं हैं, तो संस्था को विस्तृत मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है।”;

(च) सारणी में पैरा ख4.1.13 में, 'लिखत 'ड' ' और उसके संबंधित 'विश्लेषण' के पश्चात, निम्नलिखित 'लिखत' और उसका संबंधित 'विश्लेषण' अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

“लिखत ड क	विश्लेषण
लिखत ईए, ब्याज दर के साथ एक ऋण है जिसे हर रिपोर्टिंग अवधि को एक निश्चित संख्या में आधार बिंदुओं द्वारा समायोजित किया जाता है यदि देनदार पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कार्बन उत्सर्जन में संविदात्मक रूप से निर्दिष्ट कमी प्राप्त करता है। अधिकतम संभव संचयी समायोजन ऋण पर ब्याज दर में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं करेगा।	संविदात्मक नकदी प्रवाह बकाया मूलधन राशि पर केवल मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हैं। इकाई यह विचार करती है कि संविदात्मक नकदी प्रवाह में प्रत्येक परिवर्तन से पूर्व तथा पश्चात उत्पन्न हो सकने वाले संविदात्मक नकदी प्रवाह क्या केवल मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हैं (पैरा ख4.1.10 देखें)। यदि कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने की आकस्मिक घटना घटित होती है, तो ब्याज दर निश्चित आधार अंकों की संख्या से समायोजित की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप संविदात्मक नकदी प्रवाह एक मूलभूत उधार व्यवस्था के अनुरूप हो जाते हैं। केवल इस कारण कि आकस्मिक घटना की प्रकृति स्वयं मूलभूत उधार जोखिमों एवं लागतों में परिवर्तनों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, इकाई आगे के मूल्यांकन के बिना यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकती कि

	वित्तीय आस्ति पर नकदी प्रवाह केवल मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हैं या नहीं। अतः इकाई यह मूल्यांकन करती है कि सभी संविदात्मक रूप से संभावित परिस्थितियों में, संविदात्मक नकदी प्रवाह ऐसे वित्तीय लिखत के संविदात्मक नकदी प्रवाह से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न न हों, जिसके संविदात्मक निबंधन समान हों, किंतु जिसमें कार्बन उत्सर्जन से संबंधित आकस्मिक विशेषता सम्मिलित न हो (पैरा ख4.1.10क देखें)। चूँकि लिखत की अवधि के दौरान कोई भी समायोजन ऐसे संविदात्मक नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करेगा जो महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हों, अतः इकाई यह निष्कर्ष निकालती है कि उक्त ऋण के संविदात्मक नकदी प्रवाह बकाया मूलधन राशि पर केवल मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हैं।”
--	--

(छ) पैरा ख4.1.14 में, सारणी में, ‘लिखत ‘ज’ और उससे संबंधित ‘विश्लेषण’ के पश्चात ‘लिखत’ और उसका संबंधित ‘विश्लेषण’ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“लिखत झ	विश्लेषण
लिखत झ एक ब्याज दर के साथ एक ऋण है जिसे पिछली रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बाजार-निर्धारित कार्बन मूल्य सूचकांक में आंदोलनों को ट्रैक करने के लिए हर रिपोर्टिंग अवधि को समायोजित किया जाता है।	संविदात्मक नकदी प्रवाह केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं है। संविदात्मक नकदी प्रवाह को एक चर (कार्बन मूल्य सूचकांक) में अनुक्रमित किया जाता है, जो एक बुनियादी ऋण जोखिम या लागत नहीं है। इसलिए संविदात्मक नकदी प्रवाह एक बुनियादी ऋण व्यवस्था के साथ असंगत हैं (पैरा ख 4.1.8 क देखें)।”

(ज) पैरा ख4.1.16 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

“ख4.1.16 ऐसा उस स्थिति में हो सकेगा जब वित्तीय आस्ति विशिष्ट आस्तियों अथवा नकदी प्रवाह में निवेश का प्रतिनिधित्व करती हो और परिणामस्वरूप संविदात्मक नकदी प्रवाह बकाया मूलधन राशि पर केवल मूलधन एवं ब्याज के भुगतान न हों। उदाहरणार्थ, यदि संविदात्मक निबंधन यह उपबंधित करते हैं कि किसी विशिष्ट टोल मार्ग का अधिक संख्या में मोटर वाहनों द्वारा उपयोग किए जाने पर वित्तीय आस्ति के नकदी प्रवाह में वृद्धि होगी, तो ऐसे संविदात्मक नकदी प्रवाह मूलभूत उधार व्यवस्था के अनुरूप नहीं होंगे। परिणामस्वरूप, ऐसा लिखत पैरा 4.1.2(ख) तथा 4.1.2क(ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करेगा।

“ख4.1.16क पैरा ख4.1.15 में वर्णित स्थिति उस दशा में भी उत्पन्न हो सकेगी, जब किसी वित्तीय आस्ति में ‘गैर-आश्रित’ विशेषताएं हों। किसी वित्तीय आस्ति में गैर-आश्रित विशेषताएं उस स्थिति में मानी जाएंगी, जब किसी इकाई का नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अंतिम अधिकार संविदात्मक रूप से विनिर्दिष्ट आस्तियों द्वारा उत्पन्न नकदी प्रवाह तक सीमित हो। अन्य शब्दों में, इकाई मुख्यतः देनदार के ऋण जोखिम के बजाय विनिर्दिष्ट आस्तियों के निष्पादन जोखिम के प्रति अभिव्यक्त होती है। उदाहरणार्थ, किसी लेनदार का नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अंतिम अधिकार संविदात्मक रूप से किसी संरचित इकाई की विनिर्दिष्ट आस्तियों द्वारा उत्पन्न नकदी प्रवाह तक सीमित हो सकेगी।”

(झ) पैरा ख4.1.17 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“ख4.1.17 तथापि, केवल यह तथ्य कि किसी वित्तीय आस्ति में गैर-आश्रित विशेषताएं हैं, अपने आप में आवश्यक रूप से उस वित्तीय आस्ति को पैरा 4.1.2(ख) तथा 4.1.2क(ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने से अपवर्जित नहीं करता है। ऐसी स्थितियों में, लेनदार के लिए यह मूल्यांकन करना अपेक्षित होगा (‘अंतर्निहित स्तर तक परीक्षण करना’) कि वर्गीकृत की जा रही वित्तीय आस्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह तथा विशिष्ट अंतर्निहित आस्तियों अथवा नकदी प्रवाह के मध्य क्या संबंध है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे संविदात्मक नकदी प्रवाह बकाया मूलधन राशि पर मूलधन एवं व्याज के भुगतान हैं या नहीं। इकाई यह भी विचार करेगी कि यह संबंध अन्य संविदात्मक व्यवस्थाओं, जैसे कि देनदार द्वारा जारी अधीनस्थ ऋण अथवा समता लिखतों, से किस प्रकार प्रभावित होता है। यदि वित्तीय आस्ति के निबंधन किसी अन्य प्रकार के नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हैं अथवा नकदी प्रवाह को इस प्रकार सीमित करते हैं जो मूलधन एवं व्याज का प्रतिनिधित्व करने वाले भुगतानों के अनुरूप नहीं है, तो ऐसी वित्तीय आस्ति पैरा 4.1.2(ख) और पैरा 4.1.2क(ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करेगी। यह तथ्य कि अंतर्निहित आस्तियां वित्तीय आस्तियां हैं अथवा गैर-वित्तीय आस्तियां, अपने आप में इस मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करता है।”

(ञ) पैरा ख 4.1.20 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

“ख4.1.20 गैर-आश्रित विशेषताओं वाले कुछ प्रकार के लेन-देन में, कोई निर्गमकर्ता बहुविध संविदात्मक रूप से संबद्ध लिखतों (ट्रांशों) का उपयोग करते हुए वित्तीय आस्तियों के धारकों को किए जाने वाले भुगतानों को प्राथमिकता प्रदान कर सकेगा। प्रत्येक ट्रांश की एक अधीनता श्रेणी होती है, जो यह विनिर्दिष्ट करती है कि वित्तीय लिखतों के अंतर्निहित समूह से निर्गमकर्ता द्वारा उत्पन्न किसी भी नकदी प्रवाह का आवंटन किस क्रम में संबंधित ट्रांश को किया जाएगा। इन ट्रांशों के धारकों को भुगतान की प्राथमिकता एक ‘वॉटरफॉल भुगतान संरचना’ के माध्यम से स्थापित की जाती है, जो ऋण जोखिम के संकेंद्रण उत्पन्न करती है तथा अंतर्निहित समूह से होने वाली नकदी की कमी का ट्रांशों के मध्य असमानुपातिक आवंटन करती है। ऐसी स्थितियों में, किसी ट्रांश के धारकों को बकाया मूलधन राशि पर मूलधन एवं व्याज के भुगतान का अधिकार केवल तभी होगा जब निर्गमकर्ता उच्च श्रेणी वाले ट्रांशों की पूर्ति हेतु पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करे। इस प्रकार के लेन-देन में, किसी ट्रांश के धारक पैरा ख4.1.17 के स्थान पर पैरा ख4.1.21 से ख4.1.26 का अनुप्रयोग करेंगे।”

“ख4.1.20क कुछ लेन-देन, जिनमें बहुविध ऋण लिखत सम्मिलित हो सकेंगे तथा जो पैरा ख4.1.20 में वर्णित विशेषताओं वाले प्रतीत होंगे, वस्तुतः ऐसी उधार व्यवस्थाएं होती हैं जिन्हें किसी लेनदार (या लेनदारों के समूह) को संवर्धित ऋण संरक्षण प्रदान करने के लिए संरचित किया गया है। उदाहरणार्थ, किसी संरचित इकाई की स्थापना उन अंतर्निहित आस्तियों को धारण करने के लिए

की जा सकेगी, जो लेनदार को पुनर्भुगतान हेतु नकदी प्रवाह उत्पन्न करेंगी। ऐसी संरचित इकाई वरिष्ठ तथा कनिष्ठ ऋण लिखत जारी करेगी। लेनदार वरिष्ठ ऋण लिखत धारण करता है और संरचित इकाई को प्रायोजित करने वाली इकाई, जो कनिष्ठ ऋण लिखत धारण करती है, के पास वरिष्ठ ऋण लिखत के देय हुए बिना कनिष्ठ लिखत को विक्रय करने की कोई व्यावहारिक क्षमता नहीं होती। ऐसे ऋण लिखतों के धारक पैरा ख4.1.21 से ख4.1.26 के स्थान पर पैरा ख4.1.7 से ख4.1.19 का अनुप्रयोग करेंगे।”

(ट) अनुच्छेद ख4.1.21 में, “ऐसे लेन-देनों में” शब्दों से प्रारंभ होने वाले तथा “ब्याज के भुगतान हैं, लेकिन, तभी:” शब्दों पर समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“ख4.1.21 उन लेन-देन में जिनमें संविदात्मक रूप से जुड़े उपकरण होते हैं, जैसा कि पैरा ख4.1.20 में वर्णित है, एक किश्त में नकदी प्रवाह विशेषताएं होती हैं जो मूलधन और ब्याज का भुगतान केवल तभी बकाया होती हैं यदि: ”

(ण) पैरा ख 4.1.23 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

“ख4.1.23 अंतर्निहित समूह में एक या अधिक ऐसे लिखत अवश्य होंगे, जिनके संविदात्मक नकदी प्रवाह बकाया मूलधन राशि पर केवल मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हों। इस मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, अंतर्निहित समूह में ऐसे वित्तीय लिखत सम्मिलित हो सकते हैं, जो वर्गीकरण अपेक्षाओं के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं (धारा 4.1 देखें), किंतु जिनके संविदात्मक नकदी प्रवाह बकाया मूलधन राशि पर केवल मूलधन एवं ब्याज के भुगतानों के समतुल्य हों— उदाहरणार्थ, कुछ पट्टा प्राप्य। तथापि, ऐसे पट्टा प्राप्य जो अवशिष्ट मूल्य जोखिम के अधीन हों, अथवा जिनमें ऐसे परिवर्ती पट्टा भुगतान सम्मिलित हों जो किसी ऐसे परिवर्ती कारक से अनुक्रमित हों जो मूलभूत उधार जोखिम अथवा लागत नहीं है (उदाहरणार्थ, बाजार किराया दर), उनके संविदात्मक नकदी प्रवाह बकाया मूलधन राशि पर केवल मूलधन एवं ब्याज के भुगतानों के समतुल्य नहीं माने जाएंगे।”;

(xii) परिशिष्ट 1 में, पैरा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“3. आईएफआरएस 9 के प्रभावी तिथि से संबंधित पैरा 7.1.1 से 7.1.3 को इंड एस 109 में सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि ये पैरा भारतीय संदर्भ में सुसंगत नहीं हैं। पैरा 7.1.11 को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि यह आईएफआरएस 18, ‘वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण’ के निर्गमन के कारण किए गए संशोधनों से संबंधित है, जिसके अनुरूप भारतीय लेखा मानक वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। पैरा 7.1.13 को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि यह वित्तीय लिखतों के वर्गीकरण एवं मापन संबंधी संशोधनों के प्रारंभिक अनुप्रयोग से संबंधित है, जिसकी भारत में अनुमति नहीं है। तथापि आईएफआरएस 9 के पैरा क्रमांकों के साथ एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से, इन पैरा क्रमांकों को इंड एस 109 में बनाए रखा गया है।”।

(घ) “भारतीय लेखा मानक (इंड एस) 110” में: -

(i) परिशिष्ट ख में, पैरा ख 74 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

“ख74 ऐसे संबंध में संविदात्मक व्यवस्था का होना आवश्यक नहीं है। कोई पक्ष वास्तविक अभिकर्ता तब माना जाएगा, जब निवेशक के पास उस पक्ष को निवेशक की ओर से कार्य करने हेतु निर्देशित करने की क्षमता हो। कोई पक्ष उस स्थिति में भी वास्तविक अभिकर्ता हो सकता है, जब निवेशक की गतिविधियों को निर्देशित करने वाले व्यक्तियों के पास उस पक्ष को निवेशक की ओर से कार्य करने हेतु निर्देशित करने की

क्षमता हो। निवेशग्राही पर नियंत्रण का निर्धारण करते समय, निवेशक अपने वास्तविक अभिकर्ता के निर्णय-निर्माण अधिकारों तथा वास्तविक अभिकर्ता के माध्यम से परिवर्ती प्रतिफलों के प्रति अपने अप्रत्यक्ष अभिव्यक्तिकरण अथवा अधिकारों पर, अपने स्वयं के अधिकारों और अभिव्यक्तिकरण के साथ विचार करेगा।”;

(ii) परिशिष्ट ग के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट रखा जाएगा, अर्थात्: —

"परिशिष्ट ग

प्रभावी तिथि और संक्रमण

यह परिशिष्ट इंड एएस का एक अभिन्न अंग है और इसमें इंड एएस के अन्य भागों के समान अधिकार है।

प्रभावी तिथि

ग1-ग1घ [परिशिष्ट 1 देखें]

ग1ङ *इंड एएस में वार्षिक सुधार (2024)*, संशोधित पैरा ख74। इकाई उन संशोधनों को 1 अप्रैल 2026 या उसके पश्चात शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू करेगी।”;

संक्रांति

ग2-ग9 [परिशिष्ट 1 देखें]"

(iii) परिशिष्ट 'ग' और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, जिसका विवरण इस प्रकार है: -

"परिशिष्ट घ

अन्य भारतीय लेखा मानकों में निहित मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट इंड एएस का एक अभिन्न अंग है।

1. इंड एएस 10, “रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् घटनाएं” में अंतर्विष्ट परिशिष्ट क, “स्वामियों को गैर-नकद आस्तियों का वितरण”, में भी इस मानक का संदर्भ दिया गया है।
2. इंड एएस 37, “प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां” में अंतर्विष्ट परिशिष्ट क, “विसंयोजन, पुनर्स्थापन एवं पर्यावरणीय पुनर्वास निधियों से उत्पन्न हितों पर अधिकार”, में भी इस मानक का संदर्भ दिया गया है।

(iii) परिशिष्ट 1 के अनुच्छेद 3 में, “आईएफआरएस 10 के परिशिष्ट ग” अक्षरों, शब्दों और अंक के स्थान पर “आईएफआरएस 10 के परिशिष्ट ग के अनुच्छेद ग1-ग1घ तथा ग2-ग9” अक्षर, शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ङ) “भारतीय लेखा मानक (इंडस्ट्रीज़ एएस) 7” में: -

(i) पैरा 37 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

“37 जब किसी सहयोगी, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी में लागत के आधार पर लेखांकित निवेश का लेखांकन किया जाता है, तब निवेशक नकदी प्रवाह विवरण में अपनी रिपोर्टिंग को केवल अपने तथा निवेशग्राही के मध्य होने वाले नकदी प्रवाह तक सीमित रखता है, उदाहरणार्थ लाभांश एवं अग्रिम।”;

(ii) पैरा 63 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"64 [परिशिष्ट 1 देखें]

65 *इंड एएस में वार्षिक सुधार (2024)*, संशोधित पैरा 37. एक इकाई 1 अप्रैल 2026 को या उसके पश्चात शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए उस संशोधन को लागू करेगी।";

(iii) परिशिष्ट 1 में, पैरा 6 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"7. आईएस 7 के पैरा 64 को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि यह आईएफआरएस 18 जारी करने के कारण संशोधनों से संबंधित है, *वित्तीय विवरणों में प्रस्तुति और प्रकटीकरण* (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, जिसके लिए भारत के प्रशासनिक रूप से कार्य किया जा रहा है। यद्यपि, आईएस 7 के पैरा संख्या के साथ अनुरूपता बनाए रखने के लिए, पैरा संख्या को इंडस्ट्रीज़ एस 7 में बनाए रखा गया है।

8. आईएस 7 के पैरा 37 में किसी सहयोगी, संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी में लेखांकन निवेश के लिए साम्या विधि के संदर्भ को इंड एस 7 में हटा दिया गया है क्योंकि इंड एस 27, अलग *वित्तीय विवरण के अधीन* अलग-अलग वित्तीय विवरणों में साम्या विधि का उपयोग करने का विकल्प *नहीं* है";

[फा. सं. 01/01/2009-सीएल-V (भाग XIV)]

बालमुरुगन डी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का. नि. 111 (अ), तारीख 16 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 549 (अ), तारीख 13 अगस्त, 2025 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2026

G.S.R. 725(E).— In exercise of the powers conferred by section 133 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, in consultation with the National Financial Reporting Authority, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, namely:—

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, in the "Annexure", under the heading "B. Indian Accounting Standards (Ind AS)", —

(A) in "Indian Accounting Standard (Ind AS) 101"; —

(i) after paragraph 39AI, the following paragraphs shall be inserted, namely:—

"39AJ [Refer Appendix 1]

39AK *Annual Improvements to Ind AS (2024)*, amended paragraphs B5–B6. An entity shall apply those amendments for annual reporting periods beginning on or after 1 April 2026.”

(ii) in Appendix B, for paragraphs B5 and B6, the following paragraphs shall be substituted, namely:—

“B5 An entity shall not reflect in its opening Ind AS Balance Sheet a hedging relationship of a type that does not qualify for hedge accounting in accordance with Ind AS 109 (for example, many hedging relationships where the hedging instrument is a stand-alone written option or a net written option; or where the hedged item is a net position in a cash flow hedge for another risk than foreign currency risk) [see paragraph 6.4.1(a) of Ind AS 109]. However, if an entity designated a net position as a hedged item in accordance with previous GAAP, it may designate as a hedged item in accordance with Ind ASs an individual item within that net position, or a net position if that meets the requirements in paragraph 6.6.1 of Ind AS 109, provided that it does so no later than the date of transition to Ind ASs.

B6 If, before the date of transition to Ind ASs, an entity had designated a transaction as a hedge but the hedge does not meet the qualifying criteria for hedge accounting in paragraph 6.4.1(b)–(c) of Ind AS 109, the entity shall apply paragraphs 6.5.6 and 6.5.7 of Ind AS 109 to discontinue hedge accounting. Transactions entered into before the date of transition to Ind ASs shall not be retrospectively designated as hedges.”;

(iii) in Appendix 1, for paragraph 14, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“14. Paragraphs 34 to 39W, 39Y to 39AB and 39AD of IFRS 1 have not been included in Ind AS 101 as these paragraphs relate to effective date and are not relevant in Indian context. Paragraph 39AJ of IFRS 1 has not been included since it relates to amendments due to issuance of IFRS 18, *Presentation and Disclosure in Financial Statements*, for which corresponding Ind AS is under formulation. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 1, these paragraph numbers have been retained in Ind AS 101.”.

(B) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 107”; —

(i) after paragraph 5A, the following paragraphs shall be inserted, namely:—

“5B Paragraph 30A applies only to contracts to buy nature-dependent electricity that satisfy the requirements in paragraph 2.3A of Ind AS 109 and are outside the scope of that Standard in accordance with paragraphs B2.7–B2.8 of Ind AS 109.

5C Paragraph 30B applies only to contracts that satisfy the requirements in paragraph 2.3A of Ind AS 109 and have been designated in a cash flow hedging relationship in accordance with paragraph 6.10.1 of Ind AS 109.

5D Paragraph 30C applies only to contracts that satisfy the requirements in paragraph 2.3A of Ind AS 109 and have been entered into with regards to an entity’s electricity purchases. These contracts comprise those:

- (a) within the scope of Ind AS 109; and
- (b) outside the scope of Ind AS 109 in accordance with paragraph 2.4 of that Standard, including those excluded in accordance with paragraphs B2.7–B2.8 of that Standard.”;

(ii) in paragraph 11A ;—

(a) for the words “it shall disclose”, the words “it shall disclose, for each class of investment” shall be substituted;

(b) for item ‘c’ and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely ;—

“(c) the fair value at the end of the reporting period.”

(c) after item (e) and entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely ;—

“(f) the fair value gain or loss presented in other comprehensive income during the period, showing separately the fair value gain or loss related to investments derecognised during the reporting period and the fair value gain or loss related to investments held at the end of the reporting period.”;

(iii) in paragraph 11B, after item (c) and entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

“(d) any transfers of the cumulative gain or loss within equity during the reporting period related to the investments derecognised during that reporting period.”;

(iv) after paragraph 20A, the following paragraphs shall be inserted, namely:—

- “20B An entity shall disclose the information required by paragraph 20C by class of financial assets measured at amortised cost or fair value through other comprehensive income and by class of financial liabilities measured at amortised cost. The entity shall consider how much detail to disclose, the appropriate level of aggregation or disaggregation, and whether users of financial statements need additional explanations to evaluate any quantitative information disclosed.
- 20C To enable users of financial statements to understand the effect of contractual terms that could change the amount of contractual cash flows based on the occurrence (or non-occurrence) of a contingent event that does not relate directly to changes in basic lending risks and costs (such as the time value of money or credit risk), an entity shall disclose:
- a qualitative description of the nature of the contingent event;
 - quantitative information about the possible changes to contractual cash flows that could result from those contractual terms (for example, the range of possible changes); and
 - the gross carrying amount of financial assets and the amortised cost of financial liabilities subject to those contractual terms.
- 20D For example, an entity shall disclose the information required by paragraph 20C for a class of financial liabilities measured at amortised cost whose contractual cash flows change if the entity achieves a reduction in its carbon emissions.”;

(v) after paragraph 30, the following heading and paragraphs shall be inserted, namely:—

“Contracts referencing nature-dependent electricity

- 30A An entity shall disclose in a single note in its financial statements information about contracts that meet the criteria set out in paragraph 5B. In particular, the entity shall disclose information that enables users of its financial statements to understand the effects these contracts have on the amount, timing and uncertainty of its future cash flows and on its financial performance. To meet these objectives, an entity shall disclose:
- information about contractual features that expose the entity to:
 - variability in the underlying amount of electricity (see paragraph 2.3A of Ind AS 109); and
 - the risk that the entity would be required to buy electricity during a delivery interval in which the entity cannot use the electricity (see paragraph B2.7 of Ind AS 109).
 - information about unrecognised commitments arising from such contracts as at the reporting date, including:
 - the estimated future cash flows from buying electricity under these contracts. The entity shall apply its judgement when identifying the appropriate time bands within which to disclose the estimated future cash flows.
 - qualitative information about how the entity assesses whether a contract might become onerous (see Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*), including the assumptions the entity uses in making this assessment.
 - qualitative and quantitative information about effects on the entity’s financial performance for the reporting period. The disclosure is based on the information that is applicable to the reporting period that the entity used to assess whether it has been a net purchaser of electricity (see paragraph B2.8 of Ind AS 109). An entity shall disclose information for the reporting period about:
 - the costs arising from purchases of electricity made under the contracts, disclosing separately how much of the purchased electricity was unused at the time of delivery;
 - the proceeds arising from sales of unused electricity; and
 - the costs arising from purchases of electricity made to offset sales of unused electricity.
- 30B An entity shall disaggregate, for its contracts that meet the criteria set out in paragraph 5C, the information the entity discloses, by risk category, about the terms and conditions of hedging instruments in accordance with paragraph 23A.
- 30C If an entity discloses information about other contracts referencing nature-dependent electricity as described in paragraph 5D (including those contracts described in paragraph 30B) in other notes in its

financial statements, the entity shall include cross-references to those notes in the single note required by paragraph 30A.”;

(vi) after paragraph 44JJ, the following paragraphs shall be inserted, namely:—

“44KK [Refer Appendix 1].

44LL *Amendments to the Classification and Measurement of Financial Instruments*, added paragraphs 20B, 20C and 20D and amended paragraphs 11A and 11B. An entity shall apply these amendments when it applies the amendments to Ind AS 109 in accordance with paragraph 7.1.12 of Ind AS 109. The entity need not provide the disclosures required by the amendments for any period presented before the date of its initial application of the amendments.

44MM In the reporting period in which an entity first applies *Amendments to the Classification and Measurement of Financial Instruments*, the entity is not required to disclose the information that would otherwise be required by paragraph 28(f) of Ind AS 8.

44NN *Annual Improvements to Ind AS (2024)*, amended paragraph B38. An entity shall apply those amendments for annual reporting periods beginning on or after 1 April 2026.

44OO *Contracts Referencing Nature-dependent Electricity*, which also amended Ind AS 109, added paragraphs 5B–5D, 30A–30C and 44PP. An entity shall apply these paragraphs when it applies the amendments to Ind AS 109. If an entity does not restate comparative information when it first applies the amendments to Ind AS 109 in accordance with paragraph 7.2.51 of that Standard, the entity shall not provide comparative information for the disclosures required by paragraphs 30A–30C.

44PP In the reporting period in which an entity first applies *Contracts Referencing Nature-dependent Electricity*, the entity need not disclose the quantitative information that would otherwise be required by paragraph 28(f) of Ind AS 8.”;

(vii) in Appendix B, for paragraph B38, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“B38 Paragraph 42G(a) requires an entity to disclose the gain or loss on derecognition relating to financial assets in which the entity has continuing involvement. The entity shall disclose if a gain or loss on derecognition arose because the fair values of the components of the previously recognised asset (ie the interest in the asset derecognised and the interest retained by the entity) were different from the fair value of the previously recognised asset as a whole. In that situation, the entity shall also disclose whether the fair value measurements included significant unobservable inputs, as described in paragraphs 72–73 of Ind AS 113.”;

(viii) in Appendix 1, for paragraph 5, the following paragraphs shall be substituted, namely:—

“5 Paragraphs 42I–42S of IFRS 7 have not been included in Ind AS 107 as these paragraphs relate to initial application of IFRS 9 which are not relevant in Indian context. Paragraphs 43–44BB related to effective date and transition given in IFRS 7 have not been given in Ind AS 107 since it is not relevant in Indian context. Paragraph 44KK relates to IFRS 18, *Presentation and Disclosure in Financial Statements*, for which corresponding Ind AS 118 is under formulation. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 7, these paragraph numbers are retained in Ind AS 107.

6. Paragraphs 44OO and 44PP have been modified in context of IFRS 19 for which corresponding Ind AS 119 is under formulation.”.

(C) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 109”: —

(i) in paragraph 2.1, in item (b), for sub-item (ii), the following sub-item shall be substituted, namely:—

“(ii) **lease liabilities recognised by a lessee are subject to the derecognition requirements in paragraphs 3.3.1 and 3.3.3 of this Standard; and**”;

(ii) after paragraph 2.3, the following paragraphs shall be inserted, namely:—

“2.3A **Paragraphs 6.10.1–6.10.2 and B2.7–B2.8 apply only to contracts referencing nature-dependent electricity. Contracts referencing nature-dependent electricity are contracts that expose an entity to variability in the underlying amount of electricity because the source of electricity generation depends on uncontrollable natural conditions (for example, the weather). Contracts referencing nature-dependent electricity include both contracts to buy or sell nature-dependent electricity and financial instruments that reference such electricity.**

2.3B An entity shall not apply paragraphs 6.10.1–6.10.2 and B2.7–B2.8 by analogy to other contracts, items or transactions.”;

(iii) after paragraph 2.3B and entries relating thereto, the following heading shall be inserted, namely: —

“Contracts to buy or sell non-financial items”;

(iv) in paragraph 2.6, for the paragraph beginning with the words “A contract to which” and ending with words “scope of this Standard”, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“A contract to which (b) or (c) applies is not entered into for the purpose of the receipt or delivery of the non-financial item in accordance with the entity’s expected purchase, sale or usage requirements and, accordingly, is within the scope of this Standard. Other contracts (which include contracts as described in paragraph 2.3A) to which paragraph 2.4 applies are evaluated to determine whether they were entered into and continue to be held for the purpose of the receipt or delivery of the non-financial item in accordance with the entity’s expected purchase, sale or usage requirements and, accordingly, whether they are within the scope of this Standard.”;

(v) after paragraph 2.7, the following paragraph shall be inserted, namely:—

“2.8 An entity shall also apply paragraphs B2.7–B2.8 to assess whether contracts referencing nature-dependent electricity (as described in paragraph 2.3A) are entered into and continue to be held for the purpose of the receipt of electricity in accordance with the entity’s expected usage requirements.”;

(vi) for paragraph 5.1.3, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“5.1.3 Despite the requirement in paragraph 5.1.1, at initial recognition, an entity shall measure trade receivables at the amount determined by applying Ind AS 115 if the trade receivables do not contain a significant financing component in accordance with Ind AS 115 (or when the entity applies the practical expedient in accordance with paragraph 63 of Ind AS 115).”;

(vii) after paragraph 6.9.13, the following paragraphs shall be inserted, namely:—

“6.10 Contracts referencing nature-dependent electricity

6.10.1 Some contracts referencing nature-dependent electricity are designated as hedging instruments in hedges of forecast electricity transactions. In addition to the requirements in paragraph 6.3.7, for such a hedging relationship an entity is permitted to designate as the hedged item a variable nominal amount of forecast electricity transactions that is aligned with the variable amount of nature-dependent electricity expected to be delivered by the generation facility as referenced in the hedging instrument. The other hedge accounting requirements of this chapter continue to apply to such a hedging relationship.

6.10.2 If the cash flows of the contract referencing nature-dependent electricity designated as the hedging instrument are conditional on the occurrence of a forecast transaction that is designated as the hedged item in accordance with paragraph 6.10.1, this forecast transaction is presumed to be highly probable as required by paragraph 6.3.3.”;

(viii) after paragraph 7.1.10, the following paragraphs shall be inserted, namely:—

“7.1.11 [Refer Appendix 1]

7.1.12 *Amendments to the Classification and Measurement of Financial Instruments*, which amended Ind AS 109 and Ind AS 107, added paragraphs 7.2.47–7.2.49, B3.1.2A, B3.3.8–B3.3.10, B4.1.8A, B4.1.10A, B4.1.16A and B4.1.20A. It also amended paragraphs B4.1.10, B4.1.13, B4.1.14, B4.1.16, B4.1.17, B4.1.20, B4.1.21 and B4.1.23. An entity shall apply these amendments for annual reporting periods beginning on or after 1 April 2026.

7.1.13 [Refer Appendix 1]

7.1.14 *Annual Improvements to Ind AS (2024)*, amended paragraph 2.1(b)(ii), paragraph 5.1.3 and Appendix A. An entity shall apply those amendments for annual reporting periods beginning on or after 1 April 2026.

7.1.15 *Contracts Referencing Nature-dependent Electricity*, added paragraphs 2.3A–2.3B, 2.8, 6.10.1–6.10.2, 7.2.51–7.2.53, and B2.7–B2.8 and amended paragraph 2.6. An entity shall apply these amendments for annual reporting periods beginning on or after 1 April 2026.”;

(ix) after paragraph 7.2.46, the following headings and paragraphs shall be inserted, namely:—

“Transition for *Amendments to the Classification and Measurement of Financial Instruments*

- 7.2.47 An entity shall apply *Amendments to the Classification and Measurement of Financial Instruments* retrospectively, in accordance with Ind AS 8, except as specified in paragraphs 7.2.48–7.2.49. For the purposes of the requirements in these paragraphs, the date of initial application is the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies the amendments.
- 7.2.48 An entity is not required to restate prior periods to reflect the application of these amendments. An entity may restate prior periods if, and only if, it is possible to do so without the use of hindsight. If an entity does not restate prior periods, it shall recognise the effect of initially applying these amendments as an adjustment to the opening balance of financial assets and financial liabilities and the cumulative effect, if any, as an adjustment to the opening balance of retained earnings (or other component of equity, as appropriate) at the date of initial application.
- 7.2.49 At the date of initial application of the amendments to the Application Guidance to Section 4.1 of this Standard (Classification of financial assets), an entity shall disclose for each class of financial assets that changed measurement category as a result of applying the amendments:
- (a) the measurement category and carrying amount determined immediately before the amendments were applied; and
 - (b) the measurement category and carrying amount determined immediately after the amendments were applied.

Transition for *Annual Improvements to Ind AS (2024)*

- 7.2.50 An entity shall apply the amendment to paragraph 2.1(b)(ii) made by *Annual Improvements to Ind AS (2024)* to lease liabilities that are extinguished on or after the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies that amendment.

Transition for *Contracts Referencing Nature-dependent Electricity*

- 7.2.51 An entity shall apply paragraphs 2.3A–2.3B, 2.8 and B2.7–B2.8 retrospectively in accordance with Ind AS 8 using the facts and circumstances at the date of initial application (the date when an entity first applies the amendments). The date of initial application shall be the beginning of a reporting period, which might be a reporting period other than an annual reporting period. An entity need not restate prior periods to reflect the application of these amendments. The entity is permitted to restate prior periods only if it is possible to do so without the use of hindsight. If the entity does not restate prior periods, it shall recognise any difference between the previous carrying amount and the carrying amount at the date of initial application of these amendments in the opening retained earnings (or other component of equity, as appropriate) at the beginning of that reporting period.
- 7.2.52 If a contract referencing nature-dependent electricity (as described in paragraph 2.3A) would be outside the scope of Ind AS 109 as a result of applying the requirements in paragraphs B2.7–B2.8, an entity is permitted, at the date of initial application, to irrevocably designate this contract as measured at fair value through profit or loss in accordance with paragraph 2.5.
- 7.2.53 An entity shall apply paragraphs 6.10.1–6.10.2 prospectively to new hedging relationships designated on or after the date of initial application. An entity is permitted, at the date of initial application, to discontinue a hedging relationship in which a contract referencing nature-dependent electricity (as described in paragraph 2.3A) has been designated as the hedging instrument, if the same hedging instrument is designated in a new hedging relationship in accordance with paragraphs 6.10.1–6.10.2.”;
- (x) in Appendix A, after the definition ‘transaction cost’ and entries relating thereto, for last paragraph beginning with the words ‘The following terms’ and ending with the word ‘price’, the following paragraph shall be substituted, namely:—
- “The following terms are defined in paragraph 11 of Ind AS 32, Appendix A of Ind AS 107 or Appendix A of Ind AS 113 and are used in this Standard with the meanings specified in Ind AS 32, Ind AS 107 or Ind AS 113:
- (a) credit risk;
 - (b) equity instrument;
 - (c) fair value;
 - (d) financial asset;
 - (e) financial instrument; and

(f) financial liability.”;

(xi) in Appendix B, —

(a) after paragraph B2.6, the following heading and paragraph shall be inserted, namely: —

“Contracts to buy nature-dependent electricity

B2.7 Some contracts referencing nature-dependent electricity (as described in paragraph 2.3A) require an entity to buy and take delivery of the electricity when it is generated. These contractual features expose the entity to the risk that it would be required to buy electricity during a delivery interval in which the entity cannot use the electricity. The entity might also have no practical ability to avoid making sales of unused electricity because the design and operation of the electricity market in which the electricity is transacted under the contract require any amounts of unused electricity to be sold within a specified time. When an entity applies the requirements in paragraph 2.4, such sales are not necessarily inconsistent with the contract being held in accordance with the entity’s expected usage requirements. An entity entered into and continues to hold such a contract in accordance with its expected electricity usage requirements if the entity has been, and expects to be, a net purchaser of electricity for the contract period. An entity is a net purchaser of electricity if it buys sufficient electricity to offset the sales of any unused electricity in the same market in which it sold the electricity.

B2.8 In determining whether an entity is a net purchaser of electricity, the entity shall consider reasonable and supportable information (that is available without undue cost or effort) about its past, current and expected future electricity transactions over a reasonable amount of time. The entity identifies ‘a reasonable amount of time’ by considering the variability in the amount of electricity expected to be generated due to the seasonal cycle of the natural conditions and the variability in the entity’s demand for electricity due to its operating cycle. In determining whether the entity has been a net purchaser, ‘a reasonable amount of time’ shall not exceed 12 months.”;

(b) after paragraph B3.1.2, the following heading and paragraph shall be inserted, namely: —

“ Date of initial recognition or derecognition

B3.1.2A Unless paragraph 3.1.2 applies, an entity shall recognise a financial asset or financial liability on the date on which the entity becomes party to the contractual provisions of the instrument (see paragraph 3.1.1). A financial asset is derecognised on the date on which the contractual rights to the cash flows expire or the asset is transferred (see paragraph 3.2.3). Unless an entity elects to apply paragraph B3.3.8, a financial liability is derecognised on the settlement date, which is the date on which the liability is extinguished because the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires (see paragraph 3.3.1) or the liability otherwise qualifies for derecognition (see paragraph 3.3.2). ”;

(c) after paragraph B3.3.7, the following paragraphs shall be inserted, namely: —

“B3.3.8 Despite the requirement in paragraph B3.1.2A to derecognise a financial liability on the settlement date, when settling a financial liability (or part of a financial liability) in cash using an electronic payment system, an entity is permitted to deem the financial liability (or part of it) to be discharged before the settlement date if, and only if, the entity has initiated a payment instruction that resulted in:

- (a) the entity having no practical ability to withdraw, stop or cancel the payment instruction;
- (b) the entity having no practical ability to access the cash to be used for settlement as a result of the payment instruction; and
- (c) the settlement risk associated with the electronic payment system being insignificant.

B3.3.9 For the purpose of applying paragraph B3.3.8(c), settlement risk associated with an electronic payment system is insignificant if its characteristics are such that completion of the payment instruction follows a standard administrative process and the time between the criteria in paragraphs B3.3.8(a) and (b) being met and the cash being delivered to the counterparty is short. However, settlement risk would not be insignificant if completion of the payment instruction were subject to the entity’s ability to deliver cash on the settlement date.

B3.3.10 An entity that elects to apply paragraph B3.3.8 to the settlement of a financial liability (or part of a financial liability) using an electronic payment system shall apply that paragraph to all settlements made through the same electronic payment system.”;

(d) after paragraph B4.1.8, the following paragraph shall be inserted, namely: —

“B4.1.8A In assessing whether the contractual cash flows of a financial asset are consistent with a basic lending arrangement, an entity may have to consider the different elements of interest separately. The assessment of interest focuses on *what* an entity is being compensated for, rather than *how much* compensation an entity receives. Nonetheless, the amount of compensation an entity receives may indicate that the entity is being compensated for something other than basic lending risks and costs. Contractual cash flows are inconsistent with a basic lending arrangement if they are indexed to a variable that is not a basic lending risk or cost (for example, the value of equity instruments or the price of a commodity) or if they represent a share of the debtor’s revenue or profit, even if such contractual terms are common in the market in which the entity operates.”;

(e) for paragraph B4.1.10, the following paragraphs shall be substituted, namely: —

“B4.1.10 If a financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows (for example, if the asset can be prepaid before maturity or its term can be extended), the entity must determine whether the contractual cash flows that could arise over the life of the instrument due to that contractual term are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. To make this determination, the entity must assess the contractual cash flows that could arise both before, and after, the change in contractual cash flows, irrespective of the probability of the change in contractual cash flows occurring. The entity may also need to assess the nature of any contingent event (ie the trigger) that would change the timing or amount of the contractual cash flows. While the nature of the contingent event in itself is not a determinative factor in assessing whether the contractual cash flows are solely payments of principal and interest, it may be an indicator. For example, compare a financial instrument with an interest rate that is reset to a higher rate if the debtor misses a particular number of payments to a financial instrument with an interest rate that is reset to a higher rate if a specified equity index reaches a particular level. It is more likely in the former case that the contractual cash flows over the life of the instrument will be solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding because of the relationship between missed payments and an increase in credit risk. In the former case, the nature of the contingent event relates directly to, and the contractual cash flows change in the same direction as, changes in basic lending risks and costs. (See also paragraph B4.1.18.)

B4.1.10A In some cases, a contingent feature gives rise to contractual cash flows that are consistent with a basic lending arrangement both before and after the change in contractual cash flows, but the nature of the contingent event itself does not relate directly to changes in basic lending risks and costs. For example, the interest rate on a loan is adjusted by a specified amount if the debtor achieves a contractually specified reduction in carbon emissions. In such a case, when applying paragraph B4.1.10, the financial asset has contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding if, and only if, in all contractually possible scenarios, the contractual cash flows would not be significantly different from the contractual cash flows on a financial instrument with identical contractual terms, but without such a contingent feature. In some circumstances, the entity may be able to make that determination by performing a qualitative assessment; but, in other circumstances, it may be necessary to perform a quantitative assessment. If it is clear, with little or no analysis, that the contractual cash flows are not significantly different, an entity need not perform a detailed assessment.”;

(f) in paragraph B4.1.13, in the table, after item “Instrument E” and the entries relating thereto, the following item and the entries shall be inserted, namely: —

“Instrument EA	Analysis
Instrument EA is a loan with an interest rate that is adjusted every reporting period by a fixed number of basis points if the debtor achieves a contractually specified reduction in carbon emissions during the preceding reporting period.	The contractual cash flows are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. The entity considers whether the contractual cash flows that could arise both before and after each change in

The maximum possible cumulative adjustments would not significantly change the interest rate on the loan.	contractual cash flows are solely payments of principal and interest (see paragraph B4.1.10). If the contingent event of achieving the carbon emissions target occurs, the interest rate is adjusted by a fixed number of basis points, resulting in contractual cash flows that are consistent with a basic lending arrangement. It is only because the nature of the contingent event itself does not relate directly to changes in basic lending risks and costs that the entity cannot conclude – without further assessment – whether the cash flows on the financial asset are solely payments of principal and interest. The entity therefore assesses whether, in all contractually possible scenarios, the contractual cash flows would not be significantly different from the contractual cash flows on a financial instrument with identical contractual terms, but without the contingent feature linked to carbon emissions (see paragraph B4.1.10A). Because any adjustments over the life of the instrument would not result in contractual cash flows that are significantly different, the entity concludes that the loan has contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.”.
--	--

- (g) in paragraph B4.1.14, in the table, after item “Instrument H” and entries relating thereto, the following item and the entries shall be inserted, namely: —

“Instrument I	Analysis
Instrument I is a loan with an interest rate that is adjusted every reporting period to track the movements in a market-determined carbon price index during the preceding reporting period.	The contractual cash flows are not solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. The contractual cash flows are indexed to a variable (the carbon price index), which is not a basic lending risk or cost. The contractual cash flows are therefore inconsistent with a basic lending arrangement (see paragraph B4.1.8A).”

- (h) for paragraph B4.1.16, the following paragraphs shall be substituted, namely: —

- “B4.1.16 This may be the case if the financial asset represents an investment in particular assets or cash flows and hence the contractual cash flows are not solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. For example, if the contractual terms stipulate that the financial asset’s cash flows increase as more automobiles use a particular toll road, those contractual cash flows are inconsistent with a basic lending arrangement. As a result, the instrument would not satisfy the condition in paragraphs 4.1.2(b) and 4.1.2A(b).
- B4.1.16A The situation described in paragraph B4.1.15 may also arise if a financial asset has ‘non-recourse’ features. A financial asset has non-recourse features if an entity’s ultimate right to receive cash flows is contractually limited to the cash flows generated by specified assets. In other words, the entity is primarily exposed to the specified assets’ performance risk rather than the debtor’s credit risk. For example, a creditor’s ultimate right to receive cash flows may be contractually limited to the cash flows generated by specified assets of a structured entity.”;

- (i) for paragraph B4.1.17, the following paragraph shall be substituted, namely: —

“B4.1.17 However, the fact that a financial asset has non-recourse features does not in itself necessarily preclude the financial asset from meeting the condition in paragraphs 4.1.2(b) and 4.1.2A(b). In such situations, the creditor is required to assess (‘look through to’) the link between the particular underlying assets or cash flows and the contractual cash flows of the financial asset being classified to determine whether those contractual cash flows are payments of principal and interest on the principal amount outstanding. An entity shall also consider how this link is affected by other contractual arrangements, such as subordinated debt or equity instruments issued by the debtor. If the terms of the financial asset give rise to any other cash flows or limit the cash flows in a manner inconsistent with payments representing principal and interest, the financial asset does not meet the condition in paragraphs 4.1.2(b) and 4.1.2A(b). Whether the underlying assets are financial assets or non-financial assets does not in itself affect this assessment.”;

(j) for paragraph B4.1.20, the following paragraphs shall be substituted, namely: —

“B4.1.20 In some types of transactions with non-recourse features, an issuer may prioritise payments to the holders of financial assets using multiple contractually linked instruments (tranches). Each tranche has a subordination ranking that specifies the order in which any cash flows generated by the issuer from the underlying pool of financial instruments are allocated to the tranche. The prioritisation of payments to the holders of these tranches is established through a waterfall payment structure that creates concentrations of credit risk and results in a disproportionate allocation of cash shortfalls from the underlying pool between the tranches. In such situations, the holders of a tranche have the right to payments of principal and interest on the principal amount outstanding only if the issuer generates sufficient cash flows to satisfy higher-ranking tranches. In these types of transactions, the holders of a tranche apply paragraphs B4.1.21–B4.1.26 instead of paragraph B4.1.17.

B4.1.20A Some transactions that may contain multiple debt instruments and appear to have the characteristics described in paragraph B4.1.20 are, in fact, lending arrangements that are structured to provide enhanced credit protection to a creditor (or group of creditors). For example, a structured entity may be set up to hold the underlying assets that will generate the cash flows to repay the creditor. The structured entity issues senior and junior debt instruments. The creditor holds the senior debt instrument and the entity sponsoring the structured entity that holds the junior debt instrument has no practical ability to sell the junior instrument without the senior debt instrument becoming payable. The holders of such debt instruments apply paragraphs B4.1.7–B4.1.19 instead of paragraphs B4.1.21–B4.1.26.”;

(k) in paragraph B4.1.21, for the words beginning with “In such transactions” and ending with “outstanding only if”, the following paragraph shall be substituted, namely: —

“B4.1.21 In transactions that contain contractually linked instruments, as described in paragraph B4.1.20, a tranche has cash flow characteristics that are payments of principal and interest on the principal amount outstanding only if.”;

(l) for paragraph B4.1.23, the following paragraph shall be substituted, namely: —

“B4.1.23 The underlying pool must contain one or more instruments that have contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. For the purposes of this assessment, the underlying pool can include financial instruments that are not within the scope of the classification requirements (see Section 4.1) but that have contractual cash flows that are equivalent to solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding—for example, some lease receivables. However, lease receivables that are subject to residual value risk, or that comprise variable lease payments that are indexed to a variable that is not a basic lending risk or cost (for example, a market rental rate), do not have contractual cash flows that are equivalent to solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.”;

(xii) in Appendix 1, for paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely: —

“3. Paragraphs 7.1.1 to 7.1.3 of IFRS 9 related to effective date have not been included in Ind AS 109 as these paragraphs are not relevant in Indian context. Paragraph 7.1.11 has not been included since it relates to amendments due to issuance of IFRS 18, *Presentation and Disclosure in Financial Statements*, for which corresponding Ind AS is under formulation. Paragraph 7.1.13 has not been included since it relates to early application of the amendments to the classification and measurement of financial instruments which is not permitted in India. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 9, these paragraph numbers are retained in Ind AS 109.”.

(D) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 110”: —

(i) in Appendix B, for paragraph B74, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“B74 Such a relationship need not involve a contractual arrangement. A party is a de facto agent when the investor has, the ability to direct that party to act on the investor’s behalf. A party might also be a de facto agent when those that direct the activities of the investor have the ability to direct that party to act on the investor’s behalf. The investor shall consider its de facto agent’s decision-making rights and its indirect exposure, or rights, to variable returns through the de facto agent together with its own when assessing control of an investee.”;

(ii) for Appendix C, the following Appendices shall be substituted, namely: —

“Appendix C

Effective date and transition

This appendix is an integral part of the Ind AS and has the same authority as the other parts of the Ind AS.

Effective date

C1-C1D [Refer Appendix 1]

C1E *Annual Improvements to Ind AS (2024)*, amended paragraph B74. An entity shall apply those amendments for annual reporting periods beginning on or after 1 April 2026.

Transition

C2-C9 [Refer Appendix 1]”

Appendix D

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of the Ind AS.

1. Appendix A, *Distribution of Non-cash Assets to Owners* contained, in Ind AS 10, *Events after the Reporting Period*, makes reference to this Standard also.
2. Appendix A, *Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds*, contained in Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*, makes reference to this Standard also.”

(iii) in Appendix 1, in paragraph 3, for the words, letters and figure “Appendix C of IFRS 10”, the words, letters and figures “Paragraphs C1-C1D and C2-C9 of Appendix C of IFRS 10” shall be substituted.

(E) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 7”: —

(i) for paragraph 37, the following paragraph shall be substituted, namely: —

“37 When accounting for an investment in an associate, a joint venture or a subsidiary accounted for at cost, an investor restricts its reporting in the statement of cash flows to the cash flows between itself and the investee, for example, to dividends and advances.”;

(ii) after paragraph 63, the following paragraphs shall be inserted, namely: —

“64 [Refer Appendix 1]

65 *Annual Improvements to Ind AS (2024)*, amended paragraph 37. An entity shall apply that amendment for annual reporting periods beginning on or after 1 April 2026.”;

(iii) in Appendix 1, after paragraph 6, the following paragraphs shall be inserted, namely:

“7. Paragraph 64 of IAS 7 has not been included as it relates to amendments due to issuance of IFRS 18, *Presentation and Disclosure in Financial Statements*, for which corresponding Ind AS is under formulation. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 7, the paragraph number is retained in Ind AS 7.

8. Reference to Equity method for accounting investment in an associate, a joint venture or a subsidiary in paragraph 37 of IAS 7 has been deleted in Ind AS 7 as option to use equity method in separate financial statements is not there under Ind AS 27, *Separate Financial Statements*.”.

[F. No. 01/01/2009-CL-V (Part. XIV)]

BALAMURUGAN D, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 111(E), dated the 16th February, 2015 and last amended *vide* notification number G.S.R. 549(E), dated the 13th August, 2025.